#0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

675
24.9.14

R.3455-III/14

1. रामनारायण तनय गोपाल पटेल

2. बिहारी तनय गोपाल पटेल

3. शंकर तनय गोपाल पटेल

4. सावित्री पुत्री गोपाल पटेल

सभी निवासी ग्राम डाल (पूडा) तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)

श्री एडवोकेट द्वारा आज दिनांक 24.09.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

----निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कन्हैया तनय श्यामसुन्दर कुर्मी

2. कोदू तनय बशुरिया कुर्मी

3. रामप्रताप तनय बशुरिया कुर्मी

सभी निवासी ग्राम पूडा तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक 3235
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज 29-9-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 737/अपील/82-83 आदेश दिनांक 4-9-2014.

- -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 इ0 ।

- -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3455-III/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	रामनारायण पटेल कार्यवाही तथा आदेश क्रमशः	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–11–2015	निगरानी प्रकरण कमांक 3455–तीन/14 राजस्व मण्डल में, अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 737/अपील/82–83 में पारित आदेश दिनांक 4–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध प्रतियों का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये जिनका निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सिविल वाद कमांक 48ए/06 संस्थित दिनांक 2–1–03 में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मैहर जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–09 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वाद विषय के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में नायब तहसीलदार वृत्त नादन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–82 को वैध ठहराया गया है । सिविल वाद में हुए इस निर्णय के प्रकाश में यह निगरानी, तहसीलदार को सिविल वाद के इस निर्णय के अनुसार आगामी कार्यवाही करने के निर्देश के साथ समाप्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0द0 हो । **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	प